

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 02/22

सन् 2022

जीसीएमएस संख्या 2022/39

बउनवानी— मांगीलाल पुत्र राधाकिशन माली निवासी मुरली मनोहरपुरा तह0 चौथ का बरवाडा
बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरुद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 538/2021 निर्णय
दिनांक 22.2.2021 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री उमा शंकर शर्मा
2. श्री तौफिक मोहम्मद

वकील अपीलान्त
वकील रेसपो.(पैरोकार)

:- निर्णय :-

दिनांक 23.09.2022

अपीलान्त द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 538/2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.2.2021 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एवं विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलों में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2077 मे वाके ग्राम बन्ध गोपालपुरा की भूमि आराजी ख0न0 194,191,188,187,184 कुल किता 5 कुल रकबा 6.96 है0, किस्म बारानी भूमि पर सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा. के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्त का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है। यह तर्क भी दिया कि वाके ग्राम बंध गोपालपुरा की भूमि आराजी ख0न0 194,191,188,187,184 कुल किता 5 कुल रकबा 6.96 है0,किस्म बारानी-1 भूमि पर सरसों की फसल काशत की झूठी रिपोर्ट के अधार पर शास्ति अधिरोपित कर मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किया गया है जबकि उक्त आराजीयात उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 20.5.1992 द्वारा सिवायचक दर्ज की गयी थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 1692 दिनांक 30.6.2008 जगदीश स्टेट ऑफ राजस्थान वगै. में उपजिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 20.5.1992 निरस्त है जिसमे तहसीलदार चौथ का बरवाडा भी पक्षकार है। उक्त भूमि को सिवायचक मानकर धारा

.....(1).....

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करने का तहसीलदार चौथ का बरवाडा को कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाकर सिवायचक भूमि ट्रीट किया है जो उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना में आता है। यह तर्क भी दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद गलत इन्द्राज के आधार पर धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.1.2022 को अपीलान्त को प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा-5 मय शपथ पत्र के पेश की गयी है जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

विद्वान पैरोकार राजस्व एव नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। क्योंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2074-78 में खाता संख्या 1 किता 47 रकबा 43.65 है0 सिवायचक सिलिंग व खाता संख्या 3 किता 38 रकबा 24.20 है0 खातेदारी के रूप में दर्ज है। इस विवादित आराजियात के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में डी.बी. सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 2512/2011 व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 1661/2011 विचाराधीन है जिसमें मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था जो निरन्तर चला आ रहा है। अपीलान्त उच्चाधिकारियों व सरकार को भ्रमित कर रहा है। विवादित आराजियात कुल किता 46 कुल रकबा 267 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में जगन्नाथ पुत्र सीताराम ब्राहामण निवासी शिवाड की खातेदारी में अंकित थी। इसलिए सिलिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश द्वारा उक्त खातेदार मात्र 30 एकड भूमि ही रखने के लिए अधिकृत होने के कारण शेष 49 एकड भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली। उक्त आदेश के विरुद्ध लक्ष्मीनारायण पुत्र लालू ने उज्रदारी प्रस्तुत की थी जो दिनांक 31.12.1976 को खारिज कर दी गयी थी जिसके विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जो दिनांक 31.10.1977 को खारिज कर दी गयी। उक्त दोनों राजस्व न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी जिसको माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 19.3.1985 को खारिज कर दी गयी।


उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्त एवं अन्य का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त खातेदार जगन्नाथ की 46 किता भूमि रकबा 267 बीघा 17 बिस्वा का नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 याचिगण व अन्य के नाम तस्दीक कर दिया जो तथ्यों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध था इस कारण उक्त नामा0 को निरस्त करवाने हेतु उपजिला कलेक्टर ने राजस्व नियम,82 के प्रावधानों के तहत प्रकरण संख्या 119/1992 अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दोनों पक्षों को विधिवत नोटिस जारी कर तलब कर सुनवायी का अवसर देते हुए अपने आदेश दिनांक 23.12.1993 के द्वारा यह माना था कि नामा0 संख्या 11 विधि विरुद्ध तस्दीक किया गया है। खातेदार जगन्नाथ की भूमि जिस आदेश से सिलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित की गयी थी उस आदेश को सभी न्यायालयों ने बहाल रखते हुए सिलिंग एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही को उचित मानते हुए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 को निरस्त करवाने हेतु राजस्व मण्डल को रैफर किया जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अपने आदेश दिनांक 18.10.1999 के द्वारा उक्त रैफरेन्स को स्वीकार कर लिया तथा नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 को निरस्त कर दिया। किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.6.2008 द्वारा उक्त नामा0 संख्या 11 को रिस्टोर किये

जाने के आदेश दिये गये हैं जिसके विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट संख्या 2512/2011) व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट नम्बर 1661/2011) की गयी जो वर्तमान में जैरकार है तथा उक्त दोनों रिट में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.8.2015 से 3 सप्ताह तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था जो निरन्तर चला आ रहा है। किन्तु ग्राम बन्धगोपालपुरा के ख0न0 194,191,188,187,184 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 6.96 है0, जो सिवायचक सिलिंग के रूप में दर्ज है जिसपर अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के स्थगन आदेश की अवहेलना की गयी है जिसके विरुद्ध धारा 91 की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अपने पदेन कर्तव्य के तहत तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पेश की जाने पर लेण्ड होल्डर होने के कारण तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा माननीय न्यायालय के यथास्थिति के आदेश की पालना करवाने हेतु प्रतिबद्ध होने के कारण अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की अपीलान्ट पुत्री से करवायी गयी तामील से हो जाती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.6.2008 द्वारा उक्त नामा0 संख्या 11 को रिस्टोर किये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसके विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट संख्या 2512/2011) व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट नम्बर 1661/2011) पेश की गयी जो वर्तमान में जैरकार है तथा उक्त रिट में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.8.2015 से 3 सप्ताह तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था जो निरन्तर चला आ रहा है। उक्त स्थगन के प्रभावी रहते हुए ग्राम बन्धगोपालपुरा के ख0न0 194,191,188,187,184 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 6.96 है0, जो वर्तमान में सिवायचक सिलिंग के रूप में दर्ज है जिसपर अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना की गयी है। जिसके विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा अपने पदेन कर्तव्य के तहत धारा 91 की रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पेश की जाने पर लेण्ड होल्डर होने के कारण तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के यथास्थिति के आदेश की पालना करवाने हेतु प्रतिबद्ध होने के कारण अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर